



## राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राज. जयपुर

क्रमांक एफ 14( )कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23 4903

दिनांक 24/06/2022

### कार्यालय आदेश- 2

इस कार्यालय के बजट आवंटन आदेश संख्या 03 क्रमांक 1179 दिनांक 24.06.2015 से वन मण्डल वन्यजीव राजसमंद को एन.एफ.एल. वृक्षारोपण भागल (3.94 है0) में अग्रिम कार्य पूर्ण होने के उपरांत वृक्षारोपण हेतु वित्तीय एवं भौतिक आवंटन किया गया था। किन्तु ग्रामीणों के विरोध के कारण उक्त भूमि पर वृक्षारोपण कार्य नहीं होने के कारण उप वन संरक्षक द्वारा उक्त आवंटित राशि को समर्पित कर दिया गया था।

उप वन संरक्षक, वन्य जीव राजसमंद के पत्र क्रमांक 4949 दिनांक 07.06.2022 से उक्त वृक्षारोपण स्थल भागल (3.94 है0) पर वृक्षारोपण कार्य हेतु राशि चाही गयी है। वन भूमि प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्राप्त भूमियों पर वृक्षारोपण कराया जाना अनिवार्य होता है। चूंकि उक्त वृक्षारोपण पर अग्रिम कार्य पूर्व में कराया जा चुका है। यदि वृक्षारोपण नहीं करवाया जाता है तो पूर्व में व्यय की गयी राशि निष्फल व्यय मानी जाती। ऐसी स्थिति को देखते हुये उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु राशि रु. 2.51 ~~2.66~~ लाख (3.94 है0 @63773/प्रति है0) के अनुसार वृक्षारोपण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है उक्त राशि IFMSके माध्यम से निम्न मद में भारित की जावेगी। पूर्व में बजट आवंटन आदेश की शर्तें यथावत रहेगी।

#### APO Item No. 7 : Pending Liabilities of NFL/DFL

2406-04-103-01-01-12

2016- Forest & Wildlife

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(01)- Compensatory Afforestation

(01)- Compensatory Afforestation

12- Grant in Aid (Other than Salary)

Shikha  
( शिखा मेहरा )

o/c अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ 14( )कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23 4904-10

दिनांक 24/06/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करेंगे एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जारी है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवना भी सुनिश्चित करवायेंगे।
3. उप वन संरक्षक, वन्यजीव राजसमंद।
4. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (कैम्पा), को सम्पूर्ण कैम्पा कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवदेन (भौतिक एवं वित्तीय) में उक्त वृक्षारोपण को सम्मिलित किया जाकर तैयार करें।
5. कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा।
6. सूचना सहायक, आई.टी. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु/रक्षित पत्रावली।

(आर्याका जोशी)

o/c उप वन संरक्षक (कैम्पा)

राजस्थान जयपुर।